राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

खंडपीठ विशेष अपील (रिट) संख्या 560/2022

में

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 12801/2018

राजस्थान विश्वविद्यालय- रजिस्ट्रार जेएलएन मार्ग, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से

----अपीलार्थी/प्रत्यर्थी

बनाम

1. राजेश कुमार गोठवाल पुत्र श्री मातादीन गोठवाल, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी ग्राम तुराना, डाकघर नयाबास, तहसील बानसूर, जिला अलवर, राजस्थान।

2. आभा बंसल पुत्री श्री नंद लाल बंसल, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 13, मोहल्ला बुचाहेड़ा, कोटपूतली, जयपुर, राजस्थान।

अनावेदक/याचिकाकर्ता

3. नियंत्रक परीक्षा, राजस्थान विश्वविद्यालय, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर राजस्थान।

----परफोर्मा अनावेदक/प्रत्यर्थी

अपीलार्थी की ओर से	:	श्री अजीत मालू एडवोकेट.
प्रत्यर्थी 1 और 2 की ओर से	:	श्री तनवीर अहमद एडवोकेट.

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव

माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार उपमन

<u>निर्णय</u>

<u>रिपोर्टेबल</u>

<u>10/02/2023</u>

1. सुना गया।

2. यह अपील विद्वान एकलपीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.02.2022 के खिलाफ निर्देशित है, जिसके तहत, प्रत्यर्थीगण संख्या 1 और 2 द्वारा दायर रिट याचिका को अपीलार्थी-राजस्थान विश्वविद्यालय को प्रत्यर्थीगण संख्या 1 और 2-रिट याचिकाकर्ता के

परिणाम घोषित करने के निर्देश के साथ अनुमति दी गई है।

3. तथ्यात्मक आधार जिस पर रिट याचिका दायर की गई थी और प्रत्यर्थीगण संख्या 1 और 2 द्वारा राहत मांगी गई थी, वह यह था कि प्रत्यर्थीगण संख्या 1 और 2-रिट याचिकाकर्ताओं को दो वर्ष के बी.एड. में प्रवेश दिया गया था। वे नियमित रूप से बी.एड. में शामिल हुए। प्रथम वर्ष की कक्षाएँ लीं और परीक्षा में भी सम्मिलित हुए और सफल हुए। इसके बाद उन्हें बी.एड. के दूसरे वर्ष में प्रवेश दिया गया। प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 ने परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था लेकिन अपीलार्थी-विश्वविद्यालय ने उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी। इसके बाद, प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 को बी.एड. के दूसरे वर्ष में पुनः प्रवेश दिया गया। तीसरे वर्ष में, उन्हें कमी की सीमा तक कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति दी गई और उसके बाद, उन्होंने फिर से आवेदन-पत्र जमा किए, लेकिन अपीलार्थी-विश्वविद्यालय ने उन्हें फिर से परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी। इस स्तर पर, प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 ने रिट याचिका दायर करके इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। अंतरिम आदेश के तहत, प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई। हालाँकि, उनका परिणाम सीलबंद लिफाफे में रखा गया था।

4. विद्वान एकलपीठ के समक्ष प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 का निवेदन यह था कि भले ही वे बी.एड. के दूसरे वर्ष में न्यूनतम आवश्यक उपस्थिति पूरी करने में विफल रहे हों।, वे अगले वर्ष (तीसरे वर्ष) में दूसरे वर्ष के पाठ्यक्रम में पुनः प्रवेश के पात्र थे और एक बार, उन्होंने तीसरे वर्ष में उपस्थिति की कमी को पूरा कर लिया, तो वे परीक्षा में बैठने के पात्र थे और सफल प्रयास पर, अपीलार्थी-यूनिवर्सिटी बीएड की डिग्री देने के लिए बाध्य थी। प्रत्यर्थीगण संख्या 1 और 2 के अध्यादेश 325, 326, 326क और 226ख मामले में शामिल अध्यादेशों की योजना पर भरोसा करते हुए कहा गया कि अध्यादेशों की योजना ही उन्हें तीसरे वर्ष में पुन: प्रवेश लेने की अनुमति देती है क्योंकि प्रत्यर्थीगण संख्या 1 और के अनुसार 2, तर्कसंगत व्याख्या पर, अध्यादेश 326ख में निहित प्रावधानों का मतलब यह होगा कि एक उम्मीदवार भले ही दूसरे वर्ष में न्यूनतम उपस्थिति की आवश्यकता को पूरा करने में विफल रहता है, उसके पास एक अवसर है क्योंकि पाठ्यक्रम को प्रवेश की तिथि से तीन वर्ष की अधिकतम अवधि के भीतर पूरा करना आवश्यक है।

रिट याचिका में मांगी गई राहत का अपीलार्थी-विश्वविद्यालय ने इस आधार पर

विरोध किया था कि अध्यादेश 323 के संदर्भ में, किसी भी उम्मीदवार को बी.एड. परीक्षा भाग 1 और भाग 2 में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जब तक कि उसने 80% पाठ्यक्रम कार्य और अन्य आवश्यक पात्रता में भाग नहीं लिया हो। विद्वान एकलपीठ के समक्ष विश्वविद्यालय द्वारा यह रुख अपनाया गया कि अध्यादेश 326 ख उस उम्मीदवार के लिए है जो प्रथम और द्वितीय वर्ष में अनुत्तीर्ण है और उसे बी.एड. पूरा करने का अवसर दिया गया है। तीन वर्ष का पाठ्यक्रम केवल असफलता के उक्त मामले में लागू होता है, लेकिन कम उपस्थिति के मामले में नहीं।

विद्वान एकलपीठ के समक्ष प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 द्वारा उठाए गए तर्क को स्वीकार कर लिया गया। अपीलार्थी-विश्वविद्यालय के तर्क को खारिज करते हुए, विद्वान एकलपीठ ने कहा कि अध्यादेश की योजना के तहत, प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 पुन: प्रवेश के अवसर का लाभ उठाने और परीक्षा में बैठने के पात्र थे, बशर्ते कि यह तीन वर्ष के भीतर हो। ऐसे विचारों पर, विद्वान एकलपीठ ने अपीलार्थी-विश्वविद्यालय को डिग्री प्रदान करने का निर्देश दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

5. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क होगा कि विद्वान एकलपीठ ने आदेश में संदर्भित विभिन्न अध्यादेशों के तहत योजना के प्रावधानों की व्याख्या करते समय उन सिद्धांतों को सही ढंग से लागू नहीं किया है, जो इस मामले में इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा निर्धारित किए गए हैं। **मनोज कुमार मुंडोतिया एवं अन्य बनाम राजस्थान विश्वविद्यालय एवं अन्य (खंडपीठ सिविल विशेष अपील (रिट) संख्या 1481/2018 निर्णय 12.07.2019)।** उनका स्पष्ट कहना था कि अध्यादेशों की योजना ऐसे उम्मीदवार को परीक्षा में बैठने का लाभ नहीं देती है, जो न्यूनतम आवश्यक उपस्थिति को पूरा करने में विफल रहा है। उनका कहना था कि केवल वे मामले, जहां एक उम्मीदवार ने न्यूनतम आवश्यक उपस्थिति पूरी कर ली है, चाहे वह दो वर्ष के पाठ्यक्रम का भाग 1 या भाग 2 हो, हालांकि कुछ छूट के साथ, अध्यादेशों के तहत लाभ प्रदान किए गए हैं। उनका कहना है कि इस न्यायालय की खंडपीठ ने **मनोज कुमार मुंडोतिया और अन्य बनाम के मामले में राजस्थान विश्वविद्यालय और अन्य (सुप्रा.)** स्पष्ट रूप से माना है कि उपस्थिति की कमी एक उम्मीदवार को परीक्षा देने से वंचित कर देगी। अपीलार्थी-विश्वविद्यालय के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, प्रवेश और डिग्री प्रदान करने का अधिकार केवल विश्वविद्यालय के अध्यादेश में निहित वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के अधीन है, न

कि उससे संबंधित। इसलिए, यह तर्क दिया गया है कि रिट याचिका को गलत तरीके से अनुमति दी गई थी और प्रत्यर्थी नंबर 1 और 2 न केवल ऐसी किसी भी राहत के पात्र थे, जो उन्हें विद्वान एकलपीठ द्वारा दी गई है।

6. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी नंबर 1 और 2-रिट याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता तर्क दिया कि तर्कसंगत व्याख्या पर अध्यादेश 326ख के तहत दी गई योजना का मतलब यह होगा कि बी.एड. का उम्मीदवार पाठ्यक्रम प्रवेश की तारीख से अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के भीतर पाठ्यक्रम पूरा करने का पात्र है। उनका कहना था कि तीन वर्ष में पाठ्यक्रम पूरा करने की ऐसी शर्त का तात्पर्य यह है कि ऐसे मामले में भी जहां किसी उम्मीदवार को बी.एड. के भाग 1 या भाग 2 में परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी गई है। पाठ्यक्रम में उपस्थिति की कमी के कारण, उसके लिए पुनः प्रवेश लेना, फिर से पाठ्यक्रम जारी रखना, उपस्थिति की आवश्यकता को पूरा करना और फिर से परीक्षा में शामिल होना खुला है। प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, यदि किसी अभ्यर्थी को दो वर्षों में से किसी में भी उपस्थिति की कमी के कारण आने वाले समय में परीक्षा में बैठने का अवसर खोना पड़ता है, तो यह उसके लिए गंभीर कठिनाई का कारण होगा और, इसलिए, व्याख्या, जो अनुचित कठिनाई का कारण बनती है, से बचा जाना चाहिए। वह यह भी तर्क दिया कि **मनोज कुमार मुंडोतिया और अन्य बनाम** के मामले में इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा किस तथ्यात्मक आधार पर निर्णय दिया गया था। **राजस्थान विश्वविद्यालय और अन्य (सुप्रा.)** वर्तमान मामले से अलग थे। उक्त निर्णय को सभी परिस्थितियों में सार्वभौमिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। वह अगली बार यह तर्क दिया कि **राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के रजिस्ट्रार बनाम** के मामले में इस न्यायालय के एक निर्णय **शिव चरण लाल बैरवा और महात्मा गांधी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, जयपुर (खंडपीठ सिविल स्पेशल अपील (रिट) नंबर 310/2010 पर निर्णय 09.11.2010 को),** में समान तथ्यों और स्थिति में, तब भी जब न्यायालय ने पाया कि उम्मीदवार को कथित तौर पर भागीदारी से वंचित कर दिया गया था परीक्षा में उपस्थिति की कमी के कारण, न्यायालय ने रिट याचिकाकर्ता को वर्तमान शैक्षणिक सत्र में उपस्थिति पूरी करने की अनुमति दी और निर्देश दिया कि ऐसी शर्त पूरी करने पर, उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाए। इसलिए, प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 को दी गई राहत में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

7. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री और चुनौती के तहत आदेश का भी अवलोकन किया है।

8. क्या कोई उम्मीदवार, जो न्यूनतम उपस्थिति की आवश्यकता को पूरा करने में विफल रहा है, अगले वर्ष पुनः प्रवेश पाने और फिर से परीक्षा देने का पात्र होगा, यह आवश्यक रूप से परीक्षा की योजना के परीक्षण और विश्लेषण पर निर्भर करेगा जो पाठ्यक्रम जैसा कि अध्यादेशों में प्रदान किया गया है। प्रासंगिक अध्यादेश, जो विद्वान एकलपीठ के ध्यान में लाए गए थे, सुविधा और संदर्भ के लिए अध्यादेश 323, 324, 325 और 326 हैं, इन्हें यहां पुन: प्रस्तुत किया गया है:

> **"O.323** किसी भी उम्मीदवार को बी.एड. परीक्षा भाग 1 और 2 में तब तक उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि उसने (सभी पाठ्यक्रम कार्य और प्रैक्टिकम के लिए 80% और स्कूल इंटर्नशिप के लिए 90%) भाग नहीं लिया हो।
>
> **O.324** दो वर्ष के लिए बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री के लिए परीक्षा दो भागों में होगी-भाग 1 में सिद्धांत पेपर और भाग 2 में समय-समय पर निर्धारित परीक्षा की योजना के अनुसार शिक्षण का अभ्यास शामिल होगा। एक उम्मीदवार इसके अलावा समय-समय पर परीक्षा की योजना के तहत निर्धारित विशेषज्ञता में से किसी एक में एक विशेष पाठ्यक्रम की पेशकश कर सकता है, और इस आशय के अनुसार सफल होने पर उसे दी गई डिग्री प्रदान की जाएगी।
>
> **O.325** शिक्षा के सिद्धांत के भाग 1 या भाग 2 में बी.एड परीक्षा में असफल होने वाले अभ्यर्थी किसी संबद्ध प्रशिक्षण कॉलेज में आगे के पाठ्यक्रम में भाग लेने के बिना बाद की परीक्षा में पुन: परीक्षा के लिए उपस्थित हो सकते हैं।
>
> **बशर्ते कि** कोई उम्मीदवार जो किसी एक सैद्धांतिक प्रश्नपत्र में असफल हो जाता है और शेष सैद्धांतिक प्रश्नपत्रों के कुल योग में कम से कम 48% अंक प्राप्त करता है, उसे तुरंत अगले वर्ष उस प्रश्नपत्र में परीक्षा में फिर से बैठने की अनुमति दी जा सकती है जिसमें वह अनुत्तीर्ण होता है। केवल। यदि वह उस पेपर के लिए निर्धारित न्यूनतम उत्तीर्ण अंक प्राप्त कर लेता है, जिसमें वह उपस्थित हुआ है, तो उसे उत्तीर्ण घोषित कर दिया जाएगा और माना जाएगा कि उसने केवल उस पेपर के लिए निर्धारित न्यूनतम उत्तीर्ण अंक प्राप्त किए हैं (भले ही उसके द्वारा वास्तव में प्राप्त किए गए अंक कुछ भी हों)। परीक्षा की योजना के अनुसार उसके प्रभाग का निर्धारण करने का उद्देश्य। यदि उम्मीदवार उस पेपर को पास करने में विफल रहता है जिसमें वह असफल रहा है तो उसे अगले वर्ष पूरी परीक्षा दोहरानी होगी।
>
> **O.326** अभ्यर्थी जो बी.एड. में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं केवल शिक्षण अभ्यास में भाग 1 और भाग 2 की परीक्षा अगले वर्ष में व्यावहारिक परीक्षा में शामिल हो सकती है, बशर्ते कि वे प्रति वर्ष चार कैलेंडर महीनों

के लिए नियमित शर्तें रखें और कम से कम 40 पाठ (भाग 1 में 20 और भाग में 20) दें 2) पर्यवेक्षित पाठ।

O.326क: एक उम्मीदवार जो दो शैक्षणिक वर्ष के लिए एक संबद्ध शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज में अध्यादेश में निर्धारित प्रावधान के अनुसार अध्ययन का नियमित पाठ्यक्रम पूरा करता है, लेकिन अच्छे कारणों से बी.एड. में उपस्थित होने में विफल रहता है। उपरोक्त O.325 या O.326 में परिभाषित अनुसार पूर्व छात्र के रूप में परीक्षा में भाग लेने वाले को अगली परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है।

O.326ख: किसी भी उम्मीदवार को एक से अधिक बाद की परीक्षाओं में पूर्व छात्र के रूप में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बी.एड कार्यक्रम दो शैक्षणिक वर्षों की अवधि का होगा, जिसे पी.एड. में प्रवेश की तारीख से अधिकतम तीन वर्षों में पूरा किया जा सकता है।

O.326ग: एक उम्मीदवार जिसने बी.एड. उत्तीर्ण किया हो, इस विश्वविद्यालय की परीक्षा या सिंडिकेट द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य विश्वविद्यालय की बी.एड परीक्षा में किसी विषय में विशेष पाठ्यक्रम लेने की अनुमति दी जा सकती है यदि उसने उस वर्ष कोई पाठ्यक्रम पेश नहीं किया है जिसमें उसने परीक्षा उत्तीर्ण की है या यदि वह किसी विशेष विषय के साथ उत्तीर्ण हुआ है परीक्षा के लिए उसके द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम के अलावा प्रत्येक मामले में यह प्रावधान किया गया है।"

9. अध्यादेश 323 में नकारात्मक भाषा में प्रावधान किया गया है कि किसी भी उम्मीदवार को बी.एड परीक्षा भाग 1 और 2 में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि उसने (सभी पाठ्यक्रम कार्य और प्रैक्टिकम के लिए 80% और 90%) भाग नहीं लिया हो। स्कूल इंटर्नशिप अध्यादेश 325, 326 और 326क उपस्थिति से संबंधित हैं।

प्रशिक्षण महाविद्यालय अध्यादेश 325 में निहित प्रावधानों के अनुसार, जो अभ्यर्थी शिक्षा के सिद्धांत में भाग 1 या/भाग 2 में बी.एड परीक्षा में असफल हो जाते हैं, वे किसी संबद्ध संस्थान में आगे के पाठ्यक्रम में भाग लेने के बिना बाद की परीक्षा में पुन: परीक्षा के लिए उपस्थित होने के पात्र हैं।

अध्यादेश 326 एक अन्य आकस्मिकता से संबंधित है जहां एक उम्मीदवार जो बी.एड. में अनुत्तीर्ण हो जाता है परीक्षा भाग 1 और भाग 2 केवल शिक्षण के अभ्यास में यह प्रदान करके कि वह अगले वर्ष में व्यावहारिक परीक्षा में उपस्थित हो सकता है, बशर्ते कि वे प्रति वर्ष चार कैलेंडर महीनों के लिए नियमित शर्तें रखें और कम से कम 40 पाठ (आंशिक रूप से 20) दें भाग 2 में 1 और 20) पर्यवेक्षित पाठ।

10. अध्यादेश 325 और 326 में निहित प्रावधानों के तुलनात्मक और व्यापक अध्ययन

से पता चलेगा कि वे ऐसी स्थिति से निपटते हैं जहां एक उम्मीदवार परीक्षा में असफल हो गया है, चाहे वह व्यावहारिक या सैद्धांतिक भाग हो। जाहिर है, एक उम्मीदवार, जो असफल हुआ है, उसे परीक्षा की प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी गई थी, जिसका अर्थ यह होगा कि उसने न्यूनतम उपस्थिति हासिल की थी। इसलिए, उपरोक्त दो प्रावधान केवल उन लोगों से संबंधित हैं जो परीक्षा में असफल हुए हैं। ये दो प्रावधान एक आकस्मिकता से निपटते हैं कि क्या होगा जब एक उम्मीदवार जो दो शैक्षणिक वर्षों के लिए एक वैध शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज में अध्यादेश के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार अध्ययन का नियमित पाठ्यक्रम पूरा करता है, लेकिन अच्छे कारणों से उपस्थित होने में विफल रहता है। ऐसे उम्मीदवार को अध्यादेश 325 और 326 में परिभाषित अनुसार पूर्व छात्र के रूप में अगली परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है।

11. अध्यादेश 326क तीसरी आकस्मिकता से संबंधित है। उस अध्यादेश में तीन आकस्मिकताओं को छोड़कर किसी अन्य आकस्मिकता का प्रावधान नहीं किया गया है। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो किसी उम्मीदवार को, जो न्यूनतम आवश्यक उपस्थिति हासिल करने में विफल रहा हो, उपस्थिति की कमी को माफ करके या तो उसी वर्ष या अगले वर्ष में पूर्व छात्र के रूप में या उसे पुनः प्रवेश की अनुमति देकर एक नियमित छात्र के रूप में परीक्षा में बैठने की अनुमति देता है

12. अध्यादेश 326ख, जिस पर बहुत जोर दिया गया है, का बारीकी से विश्लेषण करने की आवश्यकता है। अध्यादेश 326बी के पहले भाग में प्रावधान है कि किसी भी उम्मीदवार को एक से अधिक आगामी परीक्षाओं में पूर्व छात्र के रूप में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह स्पष्ट रूप से एक कैपिंग प्रतीत होती है क्योंकि पूर्ववर्ती अध्यादेशों में परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्रों को पूर्व छात्र के रूप में उपस्थित होने का अवसर प्रदान किया गया है। यह इस तथ्य का भी द्योतक है कि आगामी वर्षों में परीक्षा में बैठने की सुविधा केवल उन लोगों तक ही सीमित है जो पूर्व छात्र हैं।

हमें बी.एड. के किसी भी भाग में पुनः प्रवेश की अनुमति देने वाला कोई प्रावधान नहीं मिला। इसके अलावा, अध्यादेश उस स्थिति में असफल उम्मीदवारों को दिए जाने वाले लाभ की तरह कोई लाभ प्रदान नहीं करता है, जहां कोई उम्मीदवार न्यूनतम आवश्यक उपस्थिति को पूरा करने में विफल रहता है।

13. अध्यादेश 326ख के दूसरे भाग में प्रावधान है कि बी.एड. कार्यक्रम दो शैक्षणिक वर्षों की अवधि का होगा, जिसे बी.एड. में प्रवेश की तारीख से अधिकतम तीन वर्षों में पूरा किया जा सकता है। यह फिर से एक सीमित खंड की प्रकृति में है। इसलिए, जहां कोई उम्मीदवार परीक्षा में असफल हो गया है, हालांकि वह पूर्व छात्र के रूप में उपस्थित होने का पात्र है, इसे तीन वर्ष के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। इसका मतलब साफ है कि यदि कोई अभ्यर्थी बी.एड. पार्ट 2 में दूसरे वर्ष में फेल हो जाता है। बेशक, उसे अगले वर्ष ही परीक्षा देनी होगी, न कि अपनी पसंद से।

14. इस प्रकार, अध्यादेश 326बी के दोनों भाग ऐसी स्थिति से निपटते नहीं हैं, या तो स्पष्ट रूप से या निहितार्थ से, जहां एक उम्मीदवार न्यूनतम उपस्थिति आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहा है। अध्यादेश इस बारे में मौन है। यहां तक कि अध्यादेश 326सी भी ऐसी स्थिति से नहीं निपटता।

15. यह प्रावधान कठोर प्रतीत होता है क्योंकि इसमें स्पष्ट प्रावधानों के अभाव में, यदि बी.एड. के किसी भी वर्ष का अभ्यर्थी पाठ्यक्रम न्यूनतम आवश्यक उपस्थिति सुनिश्चित करने में विफल रहता है, उसके पास पाठ्यक्रम छोड़ने और फिर से प्रवेश लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन फिर, उक्त प्रावधान को किसी भी चुनौती के अभाव में, हम इसे तर्कसंगत और तार्किक व्याख्या के अलावा कोई अन्य अर्थ देने में असमर्थ हैं जैसा कि यहां ऊपर विश्लेषण में रखा गया है।

16. अध्यादेश 323 में प्रावधान है कि किसी भी उम्मीदवार को बी.एड परीक्षा भाग 1 और 2 में तब तक उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि उसने (सभी पाठ्यक्रम कार्य और प्रैक्टिकम के लिए 80% और स्कूल इंटर्नशिप के लिए 90%) प्राप्त नहीं किए हो। इसे उन प्रावधानों के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए जो उम्मीदवारों के दो वर्ष में परीक्षा में बैठने के अधिकार को सीमित करते हैं। प्रावधान पर लगाई गई व्याख्या में यह अधिकार शामिल होगा कि एक उम्मीदवार तीसरे वर्ष में पुन: प्रवेश पाने और कमी को पूरा करने का पात्र है, जैसा कि हमने यहां ऊपर कहा है, यहां ऊपर संदर्भित नहीं किया गया है। व्याख्या, जो हमारे द्वारा रखी गई है, को **मनोज कुमार मुंडोतिया और अन्य बनाम** के मामले में इस न्यायालय की खंडपीठ के निर्णय से समर्थन मिलता है। **राजस्थान एवं अन्य विश्वविद्यालय (सुप्रा.)** जहां उपरोक्त अध्यादेश 326ख की व्याख्या की गई थी। इसे निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया था:

> "हमने विश्वविद्यालय अध्यादेश के अध्यादेश 325 की जांच की है जो अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान करता है कि जो उम्मीदवार बी.एड. भाग I या/भाग 2 में में असफल होते हैं, शिक्षा के सिद्धांत की परीक्षा किसी संबद्ध प्रशिक्षण कॉलेज में आगे के पाठ्यक्रम में भाग लेने के बिना बाद की परीक्षा में पुन: परीक्षा के लिए उपस्थित हो सकते है। अध्यादेश विश्वविद्यालय अध्यादेश के 326 में प्रावधान है कि जो अभ्यर्थी बी.एड. परीक्षा भाग I और II में अनुत्तीर्ण होंगे, केवल शिक्षण और इंटर्नशिप के अभ्यास में अगले वर्ष में व्यावहारिक परीक्षा में उपस्थित हो सकते हैं, बशर्ते कि वे प्रति वर्ष चार कैलेंडर महीनों के लिए नियमित शर्तें रखें और कम से कम 20 पाठ (भाग 1 में 10 और भाग में 10) दें 2)। अध्यादेश 326ए में प्रावधान है कि एक उम्मीदवार जो अध्यादेश में निर्धारित प्रावधान के अनुसार दो शैक्षणिक वर्ष के लिए एक संबद्ध शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज में अध्ययन का नियमित पाठ्यक्रम पूरा करता है, लेकिन अच्छे कारणों से बी.एड. में उपस्थित होने में विफल रहता है, जैसाकि अध्यादेश 325 या 326 में परिभाषित किया गया है, उसे पूर्व छात्र के रूप में अगली परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है। अध्यादेश 326बी में प्रावधान है कि किसी भी उम्मीदवार को पूर्व छात्र के रूप में एक से अधिक आगामी परीक्षाओं में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कार्यक्रम दो शैक्षणिक वर्षों की अवधि का होगा, जिसे बी.एड. में प्रवेश की तारीख से अधिकतम तीन वर्षों में पूरा किया जा सकता है। विश्वविद्यालय अध्यादेश के उपरोक्त खंडों को संचयी रूप से पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि एक उम्मीदवार, जिसने भाग I और II में आवश्यक न्यूनतम उपस्थिति पूरी कर ली है, को पूर्व छात्र के रूप में III वर्ष की परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जा सकती है। इसीलिए बी.एड. की अधिकतम अवधि. तीन वर्ष का संकेत दिया गया है लेकिन उपस्थिति से कोई छूट नहीं है। यदि उपस्थिति न्यूनतम आवश्यकता से कम हो जाती है, तो ऐसे उम्मीदवार/छात्र को डिग्री नहीं दी जा सकती है।

इसलिए, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि पूर्व छात्र के रूप में अगले वर्ष परीक्षा में बैठने का लाभ केवल उन लोगों तक ही सीमित है जो परीक्षा में उपस्थित हुए लेकिन असफल रहे, न कि उनके लिए जो न्यूनतम आवश्यक उपस्थिति हासिल करने में विफल रहे।

17. प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 के विद्वान अधिवक्ता ने **राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के रजिस्ट्रार बनाम शिव चरण लाल बैरवा और महात्मा गांधी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, जयपुर (सुप्रा.)** के मामले में इस न्यायालय की खंडपीठ के निर्णय पर भरोसा किया है। उक्त निर्णय को पढ़ने के बाद, हम पाते हैं कि उस मामले में भी, इस न्यायालय की खंडपीठ ने माना था कि न्यूनतम उपस्थिति सुनिश्चित करने में विफल रहने वाले उम्मीदवार परीक्षा में बैठने के पात्र नहीं थे। हालाँकि, इसके बाद, इसे न्यायालय के समक्ष पार्टियों द्वारा उठाए गए मुद्दे के रूप में नहीं माना गया कि क्या ऐसे मामले में,

उम्मीदवार न्यूनतम उपस्थिति की आवश्यकता को पूरा करने और फिर परीक्षा में बैठने के लिए अगले वर्ष पुनः प्रवेश का पात्र होगा। उपरोक्त मामले में इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा वह इस प्रकार कहा गया है:

> "याचिकाकर्ता-प्रत्यर्थी नंबर 1 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री जय किशन योगी ने प्रार्थना की है कि याचिकाकर्ता-प्रत्यर्थी नंबर 1 को बी.एड. करने की अनुमति दी जाए। पाठ्यक्रम और अपेक्षित उपस्थिति पूरी होने पर मुख्य परीक्षा देनी होगी। प्रार्थना उचित होने के कारण इसकी अनुमति दी जाती है। यदि याचिकाकर्ता वर्तमान शैक्षणिक सत्र में उपस्थिति पूरी करने में सक्षम है, तो उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाए। कोई लागत नहीं।"

18. उपरोक्त विचार के मद्देनजर, **राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के रजिस्ट्रार बनाम शिव चरण लाल बैरवा और महात्मा गांधी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, जयपुर (सुप्रा.)** के मामले में निर्णय बाध्यकारी नहीं है। बल्कि, **मनोज कुमार मुंडोतिया और अन्य बनाम** के मामले में अध्यादेशों में निहित वैधानिक योजना की व्याख्या के आधार पर विस्तृत विचार **राजस्थान विश्वविद्यालय एवं अन्य (सुप्रा.)** अनुपात निर्धारित करता है, जो बाध्यकारी है।

19. यद्यपि इस पर न तो बहस की गई है, न ही विद्वान एकलपीठ द्वारा कोई निर्णय दिया गया है, यह पता लगाने के लिए कि क्या कानून के तहत उपस्थिति की कमी की माफी पर विचार करना स्वीकार्य है, हमने पार्टियों के विद्वान अधिवक्ता से पूछताछ की। अपीलार्थी-विश्वविद्यालय के विद्वान अधिवक्ता का निष्पक्ष रूप से कहना है कि अध्यादेश 145 में निहित उपस्थिति की कमी को माफ करने का प्रावधान है। हालाँकि, यह वर्तमान मामले में लागू नहीं होगा क्योंकि अनुपस्थिति की माफी उपस्थिति की कमी के कुछ प्रतिशत 3% से 6% तक सीमित है। हमने यह भी पूछताछ की कि क्या प्रत्यर्थीगण संख्या 1 और 2 की उपस्थिति में कमी उपरोक्त सीमा के भीतर है ताकि प्रत्यर्थीगण संख्या 1 और 2 के मामले पर विचार करने के लिए कुछ निर्देश जारी किए जा सकें। हालांकि, प्रत्यर्थीगण संख्या 1 और 2 का दुर्भाग्य है उनकी उपस्थिति में कमी का प्रतिशत अध्यादेश 145 के तहत अनुमेय से कहीं अधिक है।

20. वैधानिक/कानूनी दायित्व को पूरा करने या वैधानिक/कानूनी/संवैधानिक अधिकार को लागू करने के लिए परमादेश की रिट जारी की जा सकती है। एक बार हमने यह मान लिया कि याचिकाकर्ताओं के पक्ष में न तो कोई वैधानिक अधिकार है, न ही अपीलार्थी-विश्वविद्यालय पर कोई वैधानिक दायित्व है, तो हमारी सुविचारित राय में, प्रत्यर्थी संख्या

1 और 2. को डिग्री प्रदान करने के लिए अपीलार्थी-विश्वविद्यालय को परमादेश जारी नहीं किया जा सकता है।

उपरोक्त के मद्देनजर, हम उन निर्देशों को बरकरार रखने में असमर्थ हैं जो विद्वान एकलपीठ द्वारा जारी किए गए हैं।

21. रिट याचिका खारिज कर दी जाती है। लागत के बारे में कोई आदेश है।

(अनिल कुमार उपमन), न्यायमूर्ति (मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव), कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति

MANOJ NARWANI/65

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म **राजभाषा सेवा संस्थान** द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल**,** द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।